न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 41/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

वीरपाल सिंह पुत्र भगतसिंह जाट उम्र 40 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स जय बजरंग डेयरी, टेम्पू स्टैण्ड, सेवर, भरतपुर निवासी ग्रा0 भूरिया पो0 सोन तहसील गोवर्धन जिला मथुरा (उ0प्र0)

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006

रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. श्री प्रतापसिंह एडवोकेट, गैरसायल

निर्णय

दिनांक : 19.01.2022

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 19.01.2022 को गैरसायल के एडवोकेट उपस्थित। इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

29.01.2021 को प्रातः 10.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स जय बजरंग डेयरी, टेम्पू स्टैण्ड सेवर, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु प्लास्टिक की एक बाल्टी में 10 किग्रा0 पनीर रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/110/एक्ट/2021/285 दिनांक 17.02.2021 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल की दुकान पर वक्त जांच रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र नहीं होना पाया गया। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का मावा विक्रय करके एवं दुकान पर रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र नहीं होने पर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii), 26(2)(v)/51 एवं 58 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल के अधिवक्ता का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स जय बजरंग डेयरी, टेम्पू स्टैण्ड सेवर से पनीर की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा गाय के दूध का पनीर तैयार किया था जो गाय के दूध से बने पनीर की गुणवत्ता अनुसार सही फैट परसैन्टेज का था परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भैस के दूध का पनीर मानकर जांच करवाई है इसलिये पनीर के स्टेर्ण्डड में अन्तर में अन्तर आया है। गाय के दूध से बने पनीर का स्टैण्डर्ड बिल्कुल सही है। गैरसायल ने किसी प्रकार से कानून की अवहेलना नहीं की है। गैरसायल निर्दोष है इसलिये प्रकरण को ड्राप किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के अभिभाषक के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 29.01.2021 को प्रातः 10.30 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु पनीर करीब 10 किग्रा0 रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/110/एक्ट/2021/285 दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

17.02.2021 के द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Moisture% (By weight) का मानक Max. 60.0% By weight होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 62.76% पाया गया है जो निर्धारित मानक से अधिक है। इसी प्रकार Total Milk solids Dry matter (By weight) का मानक Shall Not be less than 40.0% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 37.76% पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। इसी प्रकार Fat contents का मानक Not less than 50.0% of Dry matter होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 10.83% पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है। दौराने सुनवाई गैरसायल के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि जो नमूना लिया गया है वह गाय के दूध से बने पनीर का था जो जांच रिपोर्ट आई है वह भैस के दूध से बने पनीर की आई है इसलिये नमूने की जांच में अन्तर है। गैरसायल के वकील का उक्त कथन मानने योग्य नहीं क्योकि नमूना तीन–तीन पैरामीटर्स सही नहीं है। वक्त निरीक्षण गैरसायल से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया तो गैरसायल ने खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/–रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर